18. संगठन एवं प्रबंधन

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर)

देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वयन और प्रोत्साहन के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) की स्थापना कृषि मंत्रालय में दिसम्बर, 1973 में की गयी थी। देशभर में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान समेत कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान एवं शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में शीर्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को डेयर द्वारा आवश्यक शासी सहायता प्रदान की जाती है। देशभर में फैले 108 भा.कृ.अनु.प. संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों समेत यह विश्व की सर्वाधिक वृहद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में से एक है। भा.कृ.अनु.प. के अलावा भी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अन्य स्वायत्तशासी संस्थाएं, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल; रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी और एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड, दिल्ली हैं।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल की स्थापना वर्ष 1993 में की गयी थी और इसका सम्पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका कार्यक्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य हैं।

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (5 मार्च 2014 को जारी राजपत्रित अधिसूचना) की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गयी। शैक्षिक सत्र 2014-15 के लिए बीएससी (कृषि) कार्यक्रम की शुरूआत 28 जुलाई 2014 को की गयी।

एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड की स्थापना 19 अक्तूबर 2011 को डेयर और भा.कृ.अनु.प. के साथ समन्वय करते हुए कार्य करने के लक्ष्य से की गई थी ताकि कृषि अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिल सके। एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड नामक इस कम्पनी से आशा की जाती है कि यह नवोन्मेष आधारित कृषि विकास में नवोन्मेषों, मानव संसाधन और नार्स की क्षमताओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए इस विकास को त्वरित गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी।

भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए डेयर ही नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। कृषि अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए यह विभाग विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र, सी जी आई ए आर और अन्य बहुशाखीय एजेंसियों से संपर्क करता है। विभिन्न भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों/भा.कृ.अनु.प. संस्थानों में विदेशी छात्रों के दाखिले में भी डेयर द्वारा समन्वयन किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में किया गया है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल की सिफारिशों पर सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 16 जुलाई, 1929 को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भा.कृ.अनु.प. की स्थापना की गई। वर्ष 1965 और 1973 में दो बार इसका पुनर्गठन किया गया। पूर्व में इसे इम्पीरियल काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कृषि भवन, कृषि अनुसंधान भवन I एवं II और एनएएससी, नई दिल्ली में है।

भारत के केन्द्रीय कृषि मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक होता है जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) में भारत सरकार का सचिव भी होता है। भा.कृ.अनु.प. सोसायटी की आमसभा, भा.कृ.अनु.प. का सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में कृषि, पशु पालन एवं मत्स्य पालन मंत्री; विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण; सांसद; उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों एवं किसानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। (परिशिष्ट-I)

शासी निकाय (परिशिष्ट-2), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य कार्यकारी एवं निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकगण, शिक्षाविद्, विधायक तथा किसानों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। शासी निकाय को प्रत्यायन बोर्ड, क्षेत्रीय समितियों तथा प्रकाशन समिति द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। परिषद के वैज्ञानिक कार्यों में महानिदेशक को भिन्न-भिन्न विषयों के कुल आठ उपमहानिदेशक सहयोग प्रदान करते हैं। ये (i) फसल-विज्ञान, (ii) बागवानी, (iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, (iv) पशु पालन, (v) कृषि अभियांत्रिकी, (vi) मात्स्यिकी, (vii) कृषि शिक्षा, (viii) कृषि प्रसार से सम्बद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सहायक महानिदेशक, कृषि में राष्ट्रीय मूलभूत रणनीतिक एवं अग्रणी अनुप्रयोग अनुसंधान (एन.एफबी.एस.एफए.आर.ए.), द्वारा भी महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहयोग प्रदान किया जाता है। अक्तूबर 2014 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि कर दिया गया है और इस कार्य में एक राष्ट्रीय निदेशक (एनएआईपी) द्वारा महानिदेशक, भाकृअनुप को सहयोग प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना (एनएआईपी) का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है।

आठ उपमहानिदेशक अपने संबंधित विषय के संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों और परियोजना निदेशालयों के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) को एनएआईपी के संघटक I से IV के तहत जारी समस्त परियोजनाओं का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) ने कई नीतियों और संस्थागत परिवर्तनों का समर्थन किया और 4 संघटकों में 185 उप-परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा संघटक 3 में 3 उप प्रयोजनाओं को विश्व बैंक के ग्लोबल एन्वॉयरमेन्ट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड द्वारा अतिरिक्त वित्तीय अनुदान देकर सहायता प्रदान की गई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिकों एवं अन्य कार्मिकों की नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा/सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती हैं। यह पूरी चयन प्रक्रिया 1 नवम्बर, 1973 में गठित स्वतंत्र कृषि वैज्ञानिक

चयन मण्डल द्वारा पूरी की जाती है। कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (ए.एस.आर.बी.) अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के प्रति उत्तरदायी है। परिषद, भारत सरकार तथा आंतरिक संसाधनों के सृजन से फंड हासिल करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-3 में दर्शाई गई है।

परिषद के अनुसंधान ढांचे में 50 संस्थान (परिशिष्ट-4) 6 राष्ट्रीय ब्यूरो (परिशिष्ट-5), 35 परियोजना निदेशालय एवं क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय (परिशिष्ट-6), 17 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (परिशिष्ट-7) तथा 130 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं और नेटवर्क परियोजनाएं (परिशिष्ञ-8) शामिल हैं।

कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय (डीकेएमए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संचार इकाई के रूप में कार्य करता है जो कि परिषद तथा इसके संस्थानों के नेटवर्क द्वारा सृजित जानकारी/ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, प्रकाशन व सूचना, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई तथा जन-सम्पर्क इकाइयों के माध्यम से अपने अधिदेशों को क्रियान्वित करता है। एनएआईपी के तहत ई-पब्लिशिंग नॉलेज सिस्टम द्वारा 202 देशों में भा.कृ.अनु.प. के अनुसंधान साहित्य को पढ़ा जाने लगा है और डीकेएमए की शोध पत्रिकाओं में विदेशी लेखकों की संख्या भी बढ़ रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 71 कृषि विश्वविद्यालय तथा 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 मानद विश्वविद्यालयों और 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा 4 कृषि सुविधा वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान कर अनुसंधान, शिक्षा व प्रसार शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। (परिशिष्ट-9)

बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई

बौद्धिक संपदा सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना

पेटेन्ट: 27 अनुसंधान संस्थानों द्वारा 60 आवेदन किये गये जिससे 68 भाकृअनुप संस्थानों के पेटेंट आवेदनों की संख्या बढ़कर 925 हो गयी। इस अवधि में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भाकृअनुप के 24 पेटेंट आवेदन प्रकाशित किये।

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने 4 पेटेंट प्रदान किये, जिससे 25 संस्थानों से भाकृअनुप को प्रदान किये गये पेटेंट की कुल संख्या 167 हो गयी।

कॉपीराइट: 14 भा.कृ.अनु.प. संस्थानों द्वारा उनके अनुसंधान परिणामों पर आधारित 30 कॉपीराइट आवेदन किये गये। जैसे—रिटेल आउटलेट लोकेशन की संस्तुति के लिए जी आई एस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (आईसीएआर-नार्म, हैदराबाद); मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन कार्यक्रम (आईसीएआर-आरसी गोवा); मृदा ह्रास सहिष्णुता सीमा (एसएलटीएल) संगणक (आईसीएआर-सीएसडब्ल्यूसीआरटीआई, देहरादून); और सर्वेक्षण आंकड़े विश्लेषण (एसएसडीए 2.0) (आईसीएआर-आईएएसआरआई, नई दिल्ली) आदि, अंगूर जननद्रव्य के सूक्ष्म सैटेलाइट आंकड़े के प्रबन्धन हेतु सूचना प्रणाली (आईसीएआर-एनआरसीजी, पुणे); संभावित वाष्पोत्सर्जन संगणक वी 3.0 (आईसीएआर-क्रीडा, हैदराबाद); भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक

महत्वपूर्ण पेटेंट आवेदन

विषय	नवोन्मेष/प्रौद्योगिकी
प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (एनआरएम)	लाख रंगों के प्रयोग से मानव घातक कोशिका प्रजातियों की वृद्धि में अवरोध; कुसुमी और रंगीनी लाख कीट पहचान की आण्विक विधि; स्थानीय सुक्ष्मजैविक कंसोर्टिया के प्रयोग से काजू फल जूस की किण्वन प्रक्रिया।
फसल विज्ञान	कीटों के लिए स्वचालित सौर ऊर्जा वाला प्रकाश जाल; धान में सहयोगी मानचित्रण और आण्विक प्रजनन के लिए एकल कॉपी जीन आधारित 50k SNP धान चिप का डिजाइन एंव वैधता; खरपतवार आधारित अपशिष्ट जल जैविक उपचार का डिजाइन; *बैसिलस थुरिनजेंसिस* एके 47 के नये प्रभेद के लिए कीटनाशी फार्मूला; *मेग्नायोर्थेई ओरिजी* रोगजनक की प्रतिरोधी धान की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला; बड़ी इलायची के चिरकी विषाणु की तीव्र जांच किट; तीन तरफा मैट्रिक्स गन और संकरों के पैतृक बीजों की आनुवंशिक शुद्धता मूल्यांकन के लिए नमूने; पादपों के लिए वैक्योलर लक्षित निर्धारक।
बागवानी विज्ञान	ट्रैक्टर चालित कटाई यंत्र आलू की खुदाई और तेलताड़ के लिए; आम में अंदरूनी विकृति की रोकथाम के लिए पर्यावरण मैत्री संघटन; मृदारहित आरबसकुलर माहकरोइजा कवक टीका के व्यापक उत्पादन की विधि; रेड पाम घुन और रिनोसिरोस भृंग के लिए नैनोमैट्रिक्स आधारित फेरोमोन ट्रेप; चटनी मिक्स या खाद्य छिड़काव के लिए आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों से बना पाउडर मिश्रण।
पशु विज्ञान	भैंसों में प्रसव उपरांत एनोएस्टरस स्थिति की जांच हेतु प्रयोगशाला विधि; जुंओं के नियंत्रण हेतु जूं-विरोधी फार्मूला; पशुओं में फ्लोरोसिस बढ़ाने के लिए हर्बल उत्पाद; पशुओं और मनुष्यों में ब्रुसेलोसिस के निदान की अप्रत्यक्ष एलीसा किट; पशुओं और मुर्गी प्रजातियों में मांस की आण्विक पता लगाने की क्षमता के लिए किट; दूध में यूरिया और माल्टो गोंद की मिलावट के लिए पट्टी(स्ट्रिप) आधारित जांच; भैसों, ऊंट और बकरी की प्रजाति/भूगौलिक मूल स्थान का पता लगाना; सूप मिक्स के लिए अवशेष मुर्गी मांस का उपयोग।
मात्स्यिकी	क्रोमेटोफोर आधारित लिपस्टिक; मत्स्य शुष्कन रैक, पोयसिल्ला रेटिकुलाटा में मांस वृद्धि के लिए फैडरोजोल आधारित नैनोकण आहार; चमड़ी के नीचे के घाव भरने के लिए माइक्रोएनकेपसुलेटिड कुरकुमिन युक्त सक्सीनियल काइटोसन-फिश कोलोजन-पॉली इथिलीन ग्लाइकोल (पी ई जी) आधारित समग्र हाइड्रोजैल पद्धति।
कृषि अभियांत्रिकी	बेकिंग, कुकिंग और ग्रिलिंग के लिए गैस ओवन; जूट रेशे वाला कम भार का पतला जूट फैब्रिक; मल्टी मिलैट थ्रेशर कम डिहलर; बिनौले में गोसिपोल की कमी और पोषक स्तर सुधार की प्रक्रिया; आर एफ ए एल (रेसोरसिनोल फोर्मलडेहाइड लेटेक्स) मुक्त प्रक्रिया टैक्सटाइल आधारित रबड़ कोम्पोजिट हेतु; स्माल कॉटन हारवेस्टर विद प्री-क्लीनर एटैचमेंट; स्टेपवाइज एक्सपेंडिंग पिच फ्रूट ग्रेडर; और रतालू लक्षण वर्णन इकाई।

पेटेंट संख्या	प्रौद्योगिकी/ नवोन्मेष	प्रदान किये जाने की तिथि
IN257958	गाय और भैंस के दूध की पहचान के लिए पीसीआर आधारित विधि(आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल)	22 नवम्बर 2013
IN260553	करडी की व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया(आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल)	7 मई 2014
IN257783	कम कोलेस्ट्रॉल वाला घी बनाने के लिए प्रयोगशाला स्तरीय प्रक्रिया(आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल)	1 नवम्बर 2013
IN262113	थर्मल इन्सुलेशन वेल्यू टेस्टर(आईसीएआर-एनआईआरजेएएफटी, कोलकाता)	31 जुलाई 2014

क्षेत्रों के लिए मृदा एवं भूमि गुणवत्ता मानचित्र विकसित (आईसीएआर-एनबीएसएसएंडएलयूपी, नागपुर); और शकरकंद वृद्धि उत्प्रेरक मॉडल जैसे—मधुरम, स्पॉटकॉम, सिमकस (आईसीएआर- सीटीसीआरआई, तिरूवंतपुरम)

छः कॉपीराइट आवेदन विभिन्न सॉफ्टवेयर के लिए प्रदान किये गये जैसे—फार्म मशीनरी प्रबन्धन हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली; टपकाव एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति हेतु डिजाइन और ले आउट; जल संचयन जलाशय एवं सहयोगी ढांचों का डिजाइन; जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का सूची प्रबन्धन; उपसतही टपकाव और सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई। इस तरह 21 भाकृअनुप संस्थानों से 81 कॉपीराइट आवेदन रिकार्ड किये गये।

डिजाइन: आईसीएआर-आईवीआरआई, इज्जतनगर द्वारा 3 आवेदन किये गये: (*i*) बड़े पशुओं के लिए रेखीय बाह्य कंकाल फिक्सेशन डिवाइस; (*ii*) गोपशु जांघ हड्डी के लिए टयूबलर इंटरलॉकिंग नेल; (*iii*) गोपशु जांघहड्डी के लिए लॉकिंग प्लेट। इस तरह 3 भाकृअनुप संस्थानों से 20 डिजाइन आवेदन रिकार्ड किये गये।

ट्रेडमार्क: नौ भाकृअनुप संस्थानों द्वारा अपने उत्पादनों एवं प्रसंस्करणों के लिए 17 ट्रेडमार्क आवेदन किये गये जैसे—*द्वीपिका, ग्रोम्मयून, मोरिकल निकोरॉक, निशिबार* (आईसीएआरआई-सीएआरआई, पोर्टब्लेअर); *मीट ट्रीट- हैल्दी एंड यम्मी* (आईसीएआर-एनआरसीएम, हैदराबाद); *फिश पनीर* (आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई); *क्रीजैफ सोना* (आईसीएआर-सीआरआईजेएएफ, कोलकाता); *फ्लैक्सी सीएफएफ* (आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली); *केर एम, कल्परस, कोकोआ प्रोबायो, केरा प्रोबायो* (आईसीएआर-सीपीसीआरआई, कासरगोड); *स्वर्णा* (आईसीएआर-आरसीईआर, पटना); और संस्थानों के शब्द और लोगो जैसे—आईसीएआर-नार्म, हैदराबाद; आईसीएआर-सीपीसीआरआई, कासरगोड; और आईसीएआर-एनआरसीएसएस, अजमेर।

इस दौरान 5 ट्रेडमार्क आवेदन पंजीकृत किये गये। अभी तक 23 भाकृअनुप संस्थानों द्वारा 53 ट्रेडमार्क आवेदन किये गये है, इनमें से 19 आवेदन पंजीकृत किये जा चुके है।

पादप किस्में: पादप किस्म सुरक्षा और कृषक अधिकार प्राधिकरण को रजिस्टरी के लिए 51 किस्मों (25 देशज, 10 नयी और 16 कृषक किस्में) के आवेदन प्रस्तुत किये गये। पहले वाले आवेदनों में 57 किस्मों (56 देशज और 1 नई) को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। इससे रजिस्टर किस्मों की कुल संख्या 529 हो गयी है।

पादप किस्म सुरक्षा आवेदनों की संचित संख्या 1036 (903 देशज; 106 नई और 27 कृषक किस्में) हो गयी हैं जो इस प्रकार हैं: (i) खाद्यान्न 529 (गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा); (ii) तिलहन 102 (तिल, मूंगफली, अरण्डी, सूरजमुखी, सोयाबीन, अलसी, राया सरसों, कुसुम, पीली सरसों, तोरिआ, गोभी सरसों, भूरी सरसों); (iii) दलहन 180 (अरहर, मसूर, चना, मूंग, मटर, राजमा, उड़द); (iv) व्यावसायिक फसलें 175 (जूट, कपास, गन्ना); (v) बागवानी फसलें 39 (गुलदाउदी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, छोटी इलाइची, आलू, फूलगोभी, बंदगोभी, बैंगन, टमाटर); और (*vi*) रोपण फसलें 11.

क्षमता निर्माण और प्रसार गतिविधियां

बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन के नये क्षेत्र में क्षमता निर्माण का कार्य संस्थान/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर नये विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा किया गया। वर्ष 2014-2015 में 45 भाकृअनुप संस्थानों द्वारा 87 जागरूकता कार्यक्रम/आमुख/उत्पाद विशिष्ट बैठक/कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किये गये। इनमें 7377 वैज्ञानिकों/अनुसंधानकर्त्ताओं/व्यवसायी/कृषक/सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

उद्योग बैठकें- एरोपोनिक सिस्टम टैक्नालॉजी कमर्शियलाइजेशन मीट; एग्री इन्वेस्टरस मीट; एक्वाकल्चर बिजनैस मीट एंड इंटरएक्टिव वर्कशॉप फॉर एन्टरपरेन्योरस; फोर्थ नेशनल मीट ऑन ट्रैक्टरस एंड एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्यूफैक्चरस(टीएएमएम 2014); गिन्निंग बिजनैस मीट; और इंडस्ट्री मीट फॉर टैक्नोलॉजिस ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्टस।

कार्यशालाएं- ''आधुनिक युग में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका पर AgrIP2013 राष्ट्रीय कार्यशाला''; ''रबड़ डैम टैक्नोलॉजी और साइंस टैक्नोलॉजी, इन्नोवेशन एंड इंटेलेक्चुयुअल प्रोपर्टी राइटस: एन्विसेजिंग द इंटरफेसिस''; पादप किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला; 'वेल्यु फिश 2014'-नेशनल कान्फ्रेंस ऑन एमरजिंग सेफ्टी एंड टैक्नोलॉजी इश्यूस इन सीफूड इंडस्ट्री, ''सार्वजनिक अनुसंधान में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबन्धन'' विषय पर कार्यशाला; एग्री इन्नोवेशन कांक्लेव; एन्टरपरेन्योर डिवलपमेंट प्रोग्राम ऑन 'ड्राई-फ्लावर मेकिंग' और 'किक स्टार्ट यूअर ऑन बिजनैस'।

विषय विशिष्ट ज्ञान के विकास एवं जागरूकता के लिए 20 भाकृअनुप संस्थानों ने 63 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टॉफ वैयक्तियों को विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संबंधी कार्यक्रमों में भेजा।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यावसायीकरण

समझौता ज्ञापनों, लाइसेंस समझौतों और परामर्शों/अनुबंध अनुसंधान/अनुबंध सेवा के द्वारा, गैर सरकारी संगठनों और निजी संगठनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाये गये। 38 भा.कृ.अनु.प संस्थानों ने 352 संगठनों के साथ कुल 513 भागीदारी समझौते किये। ये समझौते कृषि की विभिन्न विधाओं में 191 प्रौद्योगिकियों के लिए किये गये जैसे कृषि अभियांत्रिकी (28) पशु विज्ञान (48), फसल विज्ञान (225),

भाकृअनुप संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन: सोलर पी वी डस्टर का डिजाइन बनाना और सामग्री सूची; सी एस आर-बायो की उत्पादन प्रौद्योगिकी; लवणीय एवं सामान्य मृदाओं में उगायी जाने वाली फसलों हेतु एक क्षमतावान जैव विकास वृद्धि कारक; सूक्ष्म जैविक कंसोर्टियम द्वारा काजू फल जूस की किण्वन प्रक्रिया।

फसल विज्ञान: Cry1Ac Bt प्रोटीन की जांच हेतु Bt एक्सप्रेस क्विक स्ट्रिप; बोलगार्ड-11 में रिपोर्टर जीन की जांच हेतु Bt Gus, नैनो एन्केप्सुलेटिड हैक्साकोनाजोल: ए नॉवल फंगीसाइड; नैनोयुक्त जीवाणु पॉलीसैकराइड उत्पादन, सैमफंगीन; एक नया फफूंदी नाशक; मृदा-परीक्षण उर्वरक संस्तुति मीटर (एसटीएफआर); और अन्य फसल किस्में—जैसे मक्का-विवेक QPM-9, सरसों- NRCHB 101, NRCHB 506 (संकर), पूसा सरसों 30, धान-सी आर धान 701, (सीआरएचआर 32), डीआरआरएच-2, डीआरआरएच 3, संकर धान अजय (सीआरएचआर-7) संकर धान राजलक्ष्मी (सीआरएचआर 5) पीबी-1509; गेंहू-एचडी 3057, एचडी 3086, एचआई 1544 और एच आई 1563।

बागवानी विज्ञान: एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी, मशरूम स्पॉन मशीनरी, नीम साबुन प्रौद्योगिकी; ओकरा जी एम एस लाईन-6; ओकरा एस एस आर मार्कर; आर्गेनिक फार्मूलेशन ऑफ स्यूडोमानास फ्लूरोसेन्स एंड ट्राइकोड्रर्मा हार्जिनयम; पारा-फेरोमोन ट्रेप; तेलताड़ प्रौद्योगिकी में उत्तक संवर्धन प्रौद्योगिकी; ट्रैक्टर चालित हाइड्रॉलिक प्लेटफार्म; ऑनियन सीडर एंड एक्सट्रेक्टर; वर्जिन कोकोनट ऑयल प्रोडक्शन बाई हॉट प्रोसेस; और गोभी किस्में जैसे—संकर पूसा कार्तिक और पूसा संकर 2।

पशु विज्ञान: दूध में डिटर्जेन्ट मिलावट की तुरंत जांच हेतु रंग आधारित टेस्ट; मुर्गियों में एविअन ल्यूकोसिस वायरस (एएलवी) का नियंत्रण; जय गोपाल वर्मी-कल्चर; भैसों, ऊंटों (एक या दो कूबड़ वाले), भारतीय-रोमन्थी पशु और जेबु पशु (बोस इंडीक्स) के लिए पैतृक जांच किट; लाइव एटैनुएटिड होमोलोगस पेटिट्स डेस पेटिट्स रुमिनेन्टस (पीपीआर) वैक्सीन; गोपशु में मेस्टीटिस की रोकथाम और उपचार के लिए कम लागत प्रौद्योगिकी; मिनरल बेस्ड टैक्नोलॉजी फॉर ऑस्टरस इंडक्शन एंड सेक्रोनाइजेशन इन बोविन्स; वैक्सीन लगे पशुओं से मुंहपका और खुरपका संक्रमित पशुओं की अलग पहचान के लिए 3 ए बी सी आधारित नैदानिक एस्से; रिटोर्ट पाउच टैक्नोलॉजी फॉर शेल्फ स्टेबल मीट प्रोडक्ट्स।

मात्स्यिकी विज्ञान: समुद्री मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए सीमेंट और कंकरीट से बना कृत्रिम रीफ उपकरण; लागत प्रभावी मत्स्य एवं झींगा आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी; दबावयुक्त भाप द्वारा ओयस्टर मांस को शैल से अलग करने की डिवाइस एवं प्रक्रिया; भूरे एवं लाल समुद्री खरपतवार से एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी कंस्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया।

कृषि अभियांत्रिकी: सिरकोट-फीनिक्स चरखा; डबल रोलर गिनिंग मशीन विद सेल्फ ग्रूविंग रबर रोलर एंड हिंज्ड नाइफ, लीफ स्प्रिंग प्रेशर मैक्निज्म एंड रेसिप्रोकेटिंग फिंगर टाइप सीड मीटरिंग डिवाइस; मशीन फॉर ऑटोमेटिक कॉटन गिन्निंग एंड प्रेसिंग; नैनोसैल्युलोज उत्पादन; कपास डंठली से बने पार्टिकल बोर्ड; पेडल चालित केले रेशे की कताई पद्धति; टिटानिया एवं सिल्वर नैनोपार्टिकल की उत्पादन प्रक्रिया; *एलिलिसोथिओसिनेट* को सरसों बीज से अलग करना; फलों और सब्जियों की पैकेजिंग हेतु श्रिंक रैप (Shrink wrap)

मात्स्यिकी विज्ञान (20) और बागवानी विज्ञान (185)। भाकृअनुसं, नई दिल्ली द्वारा अधिकतम (183) भागीदारी समझौते किये गये। इसके पश्चात आईआईएचआर, बेंगलुरु (128), आईवीआरआई, इज्जतनगर (23) और सीपीसीआरआई, कासरगोड (21) रहे।

नई पहल

बौद्धिक संपदा प्रबन्धन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यवसायीकरण हेतु भाकृअनुप की एक पूर्व मार्गदर्शिका के अनुसार इस इकाई ने भाकृअनुप पद्धति में दो प्रभावी मार्गदर्शिका बनायी है—'आईसीएआर रुल्स एंड गाइडलाइन्स फॉर प्रोफेशनल सर्विस फंक्शन्स (ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, कांट्रेक्ट रिसर्च एंड कांट्रेक्ट सर्विस)' और 'आईसीएआर गाइडलाइन्स फॉर इन्टरनल इवेल्यूएशन एंड फोरवार्डिंग रिसर्च पेपर्स टू सांइटिफिक जर्नल्स एंड डाटा मैनेजमेंट इन आईसीए आर इंस्टीटयूट्स'। भाकृअनुप में बौद्धिक संपदा के व्यावसायिक प्रबन्धन में ये तीनों महत्वपूर्ण साबित होंगे।

गुणवत्ता प्रणाली प्रबन्धन प्रमाणपत्र लाइसेंस: (ISO 9001-2008) भाकृअनुप/डेयर (मुख्यालय ISO 9001-2008) प्रमाणित विभाग है। गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली प्रमाणपत्र बनाये रखने के लिए आई सी ओ प्रोफेशनल द्वारा कर्मचारियों को इन हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गुणवत्ता कार्य वातावरण बनायें रखने के लिए दो इन हाऊस ऑडिट करवाये गये जिसमें जो सम्पुष्टियों नहीं हो पायी उनमें सुधार किया

गया। प्रमाणदाता एजेंसी-ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड (बी आई एस) द्वारा पहला निगरानी ऑडिट किया गया और भाकृअनुप (मुख्यालय)/डेयर का प्रमाणपत्र जारी है।

प्रशासन

भर्ती

सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित पद भरे गये: निदेशक (1) उप निदेशक (3) (राजभाषा); उपसचिव (4); अनुभाग अधिकारी (8), सहायक (5), वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी (9), प्रशासनिक अधिकारी (10), वित्त एवं लेखा अधिकारी (4), प्रधान निजी सचिव (2) और निजी सचिव (2)।

एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना

वर्ष 2014-15 के दौरान बड़ी संख्या में भा.कृ.अनु.प. (मुख्यालय एवं संस्थान) के पात्र अधिकारियों एवं स्टॉफ को भारत सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा लागू की गई एम.ए.सी.पी. स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया।

स्टाफ कल्याण निधि योजना

(i) भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय की कल्याण निधि प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) के एक दिवंगत कर्मचारी के परिवार को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(ii) स्टॉफ कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत परिषद कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को 66 छात्रवृत्तियां (प्रत्येक 2,500) प्रदान की गईं।

भाकृअनुप अनुकंपा निधि

वर्ष 2014-15 में भाकृअनुप-काजरी, जोधपुर के दो दिवगंत कर्मचारियों के आश्रितों को 25,000 रु (प्रत्येक) की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

भाकृअनुप में ई-गवर्नेंस

बेहतर पारदर्शिता एवं दक्षता के लिए ई-शासन की दिशा में भाकृअनुप द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं:

- 1 अगस्त 2013 से 'पायलट' आधार पर भाकृअनुप (मुख्यालय) के प्रमुख संभागों में ई-ऑफिस लागू किया गया है। इस ऑफिस में सभी कार्य कम्प्यूटर आधारित हैं जैसे—फाइलों का प्रेषण, छुट्टी प्रार्थनापत्र, दौरा प्रस्ताव, रोजमर्रा के कार्य की आवश्यक सूचना जैसे परिपत्र, आदेश और कई अन्य उपयोगी फीचर आदि।
- भाकृअनुप के दिल्ली स्थित अतिथिगृहों में उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन बुकिंग हेतु अतिथि गृह प्रबन्धन प्रणाली शुरू की गयी है।
- वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत सभी वित्तीय भुगतान कार्य किये जाते हैं जैसे—सामान्य बही खाता, देय भुगतान; भुगतान लेना, नकद प्रबन्धन, स्थायी सम्पत्ति प्रबन्धन, बजट प्रबन्धन और अनुदान आदि।
- ऑनलाईन ई प्रोक्योरमेंट पद्धति (भारत सरकार द्वारा शुरूआत) के अनुसार परिषद का अधिकतर लेनदेन होता है। इससे बेहतर प्रतियोगिता और निष्पक्षता आती है।
- आर टी आई आवेदनों की ऑनलाइन पावती, निपटान और निगरानी हेतु परिषद अब भारत सरकार के आर टी आई पोर्टल पर है।
- अदालती मामले निगरानी पद्धति (सी सी एम एस) द्वारा परिषद के सभी अदालती मामलों की अद्यतन सूचना प्राप्त होती है जिससे इन मामलों की बेहतर निगरानी में मदद मिलती है।
- परिषद के सतर्कता विभाग द्वारा सतकर्ता ऑनलाइन समेकित शिकायत एवं जांच नामक एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है जिसमें सभी अनुशासानात्मक मामलों या जांच की वस्तुस्थिति की जानकारी रखी जाती है।

भाकृअनुप का फेस बुक पेज

परिषद की गतिविधियों में उपयोगकर्त्ताओं की रुचि उत्पन्न करने के लिए भाकृअनुप द्वारा रुचिकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। मार्च 2013 में रिलीज़ होने से लेकर यह लगातार लोकप्रिय हो रहा है और इस पद पर 90,000 से अधिक लाइक्स दर्ज किए गए हैं।

वित्त एवं लेखा

वर्ष 2013-14 के डेयर/भा.कृ.अनु.प. को योजना एवं गैर-योजना (संशोधित अनुमान) में क्रमश: 2,600 करोड़ रु. एवं 2281.08 रु. आबंटित किये गए। आंतरिक संसाधनों (लोन एवं अग्रिम पर ब्याज, रिवॉल्विंग फंड स्कीम से आय, लोन व अग्रिम की वसूली तथा अल्पावधि जमा पर ब्याज सहित) से 228.67 करोड़ रु. का सृजन किया गया। वर्ष 2013-14 के लिए योजना एवं गैर-योजना (बजट अनुमान) क्रमश: 3715.00 करोड़ रु. तथा 2429.39 करोड़ रुपये है।

राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

डेयर

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधान के अनुसार डेयर द्वारा इसका पालन सुनिश्चित किया जाता है। डेयर और भाकृअनुप द्वारा इसके तहत कार्यालय में हिन्दी राजभाषा के रूप में उपयोग के लिए राजभाषा नियम एवं अन्य आदेश/निर्देशों का पालन नियमित रूप से किया जाता है। राजभाषा नीति अनुसार हिन्दी को कार्यालय में राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए नियमित प्रयास किये जा रहे है।

उपरोक्त प्रयत्नों की मान्यता एवं राजभाषा नीति के सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु इंदिरा गांधी राजभाषा *पुरस्कार 2012-13* का तृतीय पुरकार कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को दिया गया।

राजभाषा की प्रगति और राजभाषा नीति के बारे में डेयर के हिन्दी अनुभाग द्वारा प्रदत्त लक्ष्य एव उपलब्धियां:

- राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी जांच बिन्दु तैयार करके सभी अधिकारियों को भेजे गये हैं ताकि ये अपना कार्य हिन्दी में सुनिश्चित कर सकें।
- 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से पत्रव्यवहार का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया है।
- भाकृअनुप के ऐसे संस्थान/कार्यालय, जहां 80% स्टॉफ ने हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्यालय नियम 1976 के नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित किया गया है। ऐसे 3 कार्यालयों को इस वर्ष अधिसूचित किया गया है। कुम मिलाकर डेयर के तहत भाकृअनुप के 126 कार्यालयों को 16.9.2014 तक अधिसूचित किया जा चुका है।
- डेयर एवं भाकृअनुप की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 संयुक्त बैठकों का आयोजन अपर सचिव (डेयर)

एवं सचिव (भाकृअनुप) की अध्यक्षता में किया जा चुका है और इन बैठकों के निर्णय अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही भी की गयी।

- राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक/त्रैमासिक रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को नियमित भेजी जाती है।
- तीन भाकृअनुप संस्थानों का निरीक्षण किया गया और हिन्दी के प्रयोग में आने वाली समस्याओं का समाधान करके अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता में सुधार के आवश्यक सुझाव दिये गये।
- राजभाषा अधिनियम धारा 3 (3) के तहत सभी संकल्प, अधिसूचनाएं, पत्रव्यवहार, प्रेस विज्ञप्ति और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली सभी रिर्पोटें द्विभाषी जारी की गयी।
- राजभाषा नीति एवं सरकार के कार्यक्रमों की निगरानी एवं कार्यान्वयन के अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग द्वारा हिन्दी के प्रभावी प्रयोग, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि और अनुवाद के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है।
- हिन्दी अनुभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम धारा 3 (3) के तहत अनुवाद कार्य किया जाता है, इसलिए कृषि संबंधी कैबिनेट नोट, संकल्प, अधिसूचना, सूमझौता ज्ञापन/करार/कार्य योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध हिन्दी अनुवाद किया जाता है।
- भा.कृ.अनु.प. के सहयोग से विभाग द्वारा 14 सितम्बर से 13 अक्तूबर, 2013 तक हिन्दी चेतना मास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित केन्द्रीय कृषि मंत्री और सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. के संदेशों को भी वितरित किया गया। कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की।

इसके अतिरिक्त भाकृअनुप द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

भा.कृ.अनु.प.

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए परिषद द्वारा निम्न कदम उठाये गये:

1. केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 9 अप्रैल, 2014 को संयुक्त हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डेयर सहित कृषि मंत्रालय के तीनों विभागों ने भाग लिया।

2. महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. द्वारा प्रति माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हिन्दी क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की जाती है और सभी अधिकारियों को अपना अधिकतर कार्य हिन्दी में करने के आदेश जारी किये गये।

3. राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत परिषद के 7 संस्थानों/केन्द्रों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस प्रकार अधिसूचित संस्थानों/केन्द्रों की संख्या बढ़कर 128 हो गई। इसके अतिरिक्त भाकृअनुप (मुख्यालय) के 5 अनुभागों को नियम 8 (4) के तहत शत-प्रतिशत प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने की अधिसूचना दी गयी है। अब अधिसूचित अनुभागों की संख्या 16 हो गयी है। अपर सचिव (डेयर) और सचिव (भा.कृ.अनु.प.) द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में डेयर और भा.कृ.अनु.प. की संयुक्त राजभाषा क्रियान्वयन समिति की 4 बैठकों की अध्यक्षता की गयी। इस अवधि में स्टॉफ के विभिन्न वर्गों के लिए 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ताकि उन्हें राजभाषा नीति से अवगत कराकर यूनिकोड प्रशिक्षण दिया जाये। अधिकतर भा.कृ.अनु.प. संस्थानों में राजभाषा क्रियान्वयन समिति कार्यरत है।

4. त्रैमासिक प्रगति संबंधी ऑन लाइन रिपोर्ट क्षेत्रीय क्रियान्वयन कार्यालय को भेजी गयी है। विभिन्न संस्थानों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा परिषद मुख्यालय द्वारा करके उन्हें क्रियान्वयन सुधार संबंधी सुझाव दिये जाते हैं। भा.कृ.अनु.प. की ओर से टी ओ एल आई सी में भाग लिया गया। यूनिकोड और हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. भा.कृ.अनु.प. की द्विवार्षिक अनुसंधान पत्रिका *कृषिका* और विभिन्न संस्थानों की हिन्दी गतिविधियों के बारे में वर्णन करने वाली पत्रिका *राजभाषा आलोक* को भा.कृ.अनु.प. वेबसाइट www.icar.org.in पर अपलोड किया गया। परिषद और इसके संस्थानों द्वारा *किसान मेला* और हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में *गोष्ठियों* का आयोजन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को उनकी क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाता है। संसद में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त सामग्री के अलावा वार्षिक योजना रिपोर्ट, अनुदान मांगों की समीक्षा एवं शासी निकाय, स्थायी वित्त समिति, कृषि पर संसदीय स्थायी समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की वार्षिक आमसभा और अनेक बैठकों की समस्त सामग्री हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई। माननीय कृषि मंत्री एवं परिषद के अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यानों का मसौदा मूलरूप से हिन्दी में भी तैयार किया गया।

6. 26 सितम्बर 2014 को भाकृअनुप (मुख्यालय) एवं दिल्ली स्थित अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों और तकनीकी स्टॉफ के लिए *हिन्दी संगोष्ठी* का आयोजन किया गया। हिन्दी चेतना मास (14 सितम्बर से 13 अक्तूबर, 2014 तक आयोजित) के अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री का प्रेरणात्मक संदेश परिषद के संस्थानों को भेजा गया। महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. ने भी परिषद के स्टॉफ से ऑफिस कार्य में हिन्दी प्रयोग करने की अपील की। 'आई सी ए आर फेसबुक' पर 'कविता प्रतियोगिता' की शुरूआत की गयी जिसमें कोई भी भाग ले सकता है।

7. गणेश शंकर विद्यार्थी उत्कृष्ट हिन्दी कृषि पत्रिका पुरस्कार निम्न संस्थानों को प्रदान किये गये:

हिन्दी पत्रिका	संस्थान	पुरस्कार
प्रज्ञा	भाकृअनुप अनुसंधान परिसर, गोआ, ओल्ड गोआ	प्रथम
सुरभि	पशु परियोजना निदेशालय, मेरठ	द्वितीय
ज्वार सौरभ	ज्वार अनुसंधान निदेशलय, हैदराबाद	तृतीय

8. इस दौरान अपना अधिकतर कार्य हिन्दी में करने के लिए मुख्यालय के 10 अधिकारियों को नकद इनाम दिये गये। निम्न भा.कृ.अनु.प. संस्थानों को *राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार प्रदान* किये गये:-

भा.कृ.अनु.प. संस्थान	पुरस्कार
बड़े संस्थान	
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	प्रथम
केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई	द्वितीय
'क' और 'ख' क्षेत्र के संस्थान/केन्द्र	
भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान, रांची	प्रथम
तोरिया-सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	द्वितीय
'ग' क्षेत्र के संस्थान/केन्द्र	
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु	प्रथम
केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि, केरल	द्वितीय

9. राजभाषा विभाग की सिफारिशों के अनुपालन में वर्ष 2014 के दौरान 16 संस्थानों का निरीक्षण किया गया और कमियों को दूर करने के सुझाव दिये गये।

आईआईएसआर, लखनऊ की हिन्दी पत्रिका *'इक्षु'* को 2013-14 में प्रकाशित पत्रिका में द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

हिन्दी भाषा में मौलिक लेखन के लिए *इंदिरा गांधी राजभाषा* पुरस्कार 2013 इस बार राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'आर्किड परिदृश्य एवम् उत्पादन प्रौद्योगिकी' को दिया गया।

विज्ञान में मौलिक लेखन के लिए *राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार 2012* इस बार *'गन्ना आधारित फसल पद्धतियां: बदलता परिदृश्य एवं तकनीकी विकास,'* लेखक डा. अनिल कुमार सिंह एवं डा. सुशील सोलोमन (आईआईएसआर, लखनऊ) और *'आम के रोग तथा विकास'*- लेखक डा. ओम प्रकाश वर्मा, सी आई एस एच, लखनऊ को दिया गया।

भाकृअनुप (मुख्यालय) नई दिल्ली को शासी निकाय संगठन के तहत *इंदिरा गांधी राजभाषा क्रियान्वयन* पुरस्कार 2013-14 का तृतीय पुरस्कार 15 नवम्बर 2014 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।

तकनीकी समन्वयन

परिषद द्वारा प्रकाशन के लिए 67 पत्रिकाओं, राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलन/संगोष्ठी के आयोजन हेतु 78 सोसायटियों/एसोसिएशनों/विश्वविद्यालयों तथा अंतर-राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलन/संगोष्ठी के आयोजन हेतु 29 सोसायटियों/एसोसिएशनों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नास, भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा आई.ए.यू.ए. को भी वार्षिक अनुदान जारी किया गया। वीआईपी के 31 प्रश्नों, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 5 प्रश्नों तथा 28 संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया गया। डेयर की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 तथा लेखा रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विभिन्न भा.कृ.अनु.प. संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजना निदेशालयों द्वारा अनुसंधान और अन्य मामलों की प्रमुख उपलब्धियों की मासिक रिपोर्ट समयानुसार केन्द्रीय सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गयी और इसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को वितरित किया गया। डेयर से संबंधित बिंदुओं की पर की गयी कार्यवाही रिपोर्ट को *ई. समीक्षा* पोर्टल पर अपलोड किया गया। यह ऑन लाइन सिस्टम मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री के सम्मुख की गयी प्रस्तुतियों में लिये गये फैसलों पर फोलो-अप एक्शन की मॉनीटरिंग एवं अन्य संबंधित मुद्दों के लिए विकसित किया गया।

निजी उद्यमियों की अनुसंधान और विकास इकाइयों की पहचान हेतु प्रस्ताव संस्तुति के लिए भा.कृ.अनु.प. ने डी एस आई आर के साथ साझा कार्य किया। परिषद के वैज्ञानिकों/स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया। परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी गयी।

भा.कृ.अनु.प का 86वां स्थापना दिवस एवं पुरस्कार समारोह 2014

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जुलाई 2014 को भा.कृ.अनु.प के 86वें स्थापना दिवस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप द्वारा कृषक समुदाय के सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान किया। इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम को बलशाली बनाने पर उन्होंने जोर दिया।

भाकृअनुप पुरस्कार समारोह 2014 कार्यक्रम का आयोजन 29 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में किया गया। इसमें 16 विभिन्न वर्गों के तहत कुल 89 विजेताओं को पुरस्कार दिये गये। श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि मंत्री और डा. संजीव कुमार बालियान, माननीय कृषि राज्य मंत्री ने विभिन्न वर्गों के तहत भाकृअनुप पुरस्कार प्रदान किये और उन्होंने कहा कि पुरस्कृत व्यक्तियों को मिली पहचान से उनमें कहीं ज्यादा जोश और सृजनात्मकता आयेगी।

❑